न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़,
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 78/2021

बुद्धराम पुत्र फुलाराम अहीर, निवासी ढाणी सिहोड़िया, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, सिंघाना, जिला झुन्झुनू।

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना
उनवानी सरकार बनाम बुद्धराम अं0धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956
मुकदमा नम्बर 20/2021 निर्णय दिनांक 22.06.2021

उपस्थिति :–
1. श्री अभिषेक शर्मा, अधिवक्ता ——————अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, अधिवक्ता ———— रेस्पोडेन्ट की ओर से।

– निर्णय – दिनांक 12.04.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.06.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम बुद्धराम मुकदमा नम्बर 20/2021 अं. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है – कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना ने पटवारी हल्का डुमोली कलां की रिपोर्ट पर ग्राम ढाणी सिहोड़िया में भूमि खसरा नम्बर 321 रकबा 0.12 हैक्टर किस्म बंजड़ राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना मानकर अपीलान्ट को 462.25 वर्गमीटर भूमि पर अनाधिकृत रूप से पक्के मकान व चारदिवारी बनाकर अतिक्रमण करना मानकर अतिक्रमी घोषित कर विवादित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किए है। जबकि अपीलान्ट अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 322 में मकान आदि बनाकर आबाद चला आ रहा है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 321 से अपीलान्ट की खातेदारी भूमि की सीमा लगती है। जिसका राजस्व रिकार्ड अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया था। पटवारी हल्का ने मौके पर सही पैमाइश ना करके अपने कार्यालय में बैठकर रिपोर्ट तैयार कर अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की है क्योंकि रिपोर्ट पर किसी अन्य कार्यवाही पर न तो अपीलान्ट के हस्ताक्षर है

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.04.18 17:52:10 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

तथा न ही किसी चश्मदीद के हस्ताक्षर है। अपीलान्ट के निवेदन पर अदालत मातहत ने पटवारी हल्का को सही पैमाइश कर पुनः रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देशित किया था लेकिन पटवारी हल्का ने अदालत मातहत के आदेश की पालना किये बिना ही बिना मौके की जांच किये अपने कार्यालय में बैठकर कागजी कार्यवाही कर दुबारा रिपोर्ट अदालत मातहत के समक्ष पेश कर दी। जिसके बाद अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिये बिना ही अपीलान्ट तथा अपीलान्ट के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में आलौच्य निर्णय पारित कर दिया। जबकि निर्णय पारित करने के वक्त कोविड–19 महामारी की दुसरी लहर पीक पर थी। सम्पूर्ण राज्य में लॉकडाउन चल रहा था तथा सरकार की ओर से महामारी से बचाव हेतु जारी गाईड लाईन की पालना करने की हिदायत दी हुई थी। इसके अलावा सभी न्यायालयों में न्यायिक कार्य स्थगित किया हुआ था। अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर द्वारा आनन्द कुमार बनाम राज0 सरकार व अन्य की पीआईएल याचिका संख्या 4419/2019 में वर्षो से पुराने पक्के मकानात बनाकर काबिल चले आ रहे तथा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नही होने पर अतिक्रमियों के खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप फरमाने की फाईडिंग देकर रियायत दी गई थी जिसके आधार पर माननीय जिला कलक्टर झुन्झुनू ने भी पक्के मकानात बनाकर आबाद अतिक्रमियों के खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप फरमाई है। इसके अलावा राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प6(16)राज/ख/71 दिनांक 03.07.1971 द्वारा भी अतिक्रमी की संज्ञा पाये दोषी को रियायत दी गई है। अदालत मातहत ने उपरोक्त सभी बातो को नजरअंदाज कर पटवारी हल्का की वेग रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आलौच्य निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिघाना द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना ने पटवारी हल्का डुमोली कलां की रिपोर्ट पर ग्राम ढाणी सिहोड़िया में भूमि खसरा नम्बर 321 रकबा 0.12 हैक्टर किस्म बंजड़ राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना मानकर अपीलान्ट को 462.25 वर्गमीटर भूमि पर अनाधिकृत रूप से पक्के मकान व चारदिवारी बनाकर अतिक्रमण करना मानकर अतिक्रमी घोषित कर विवादित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किए है। जबकि अपीलान्ट अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 322 में मकान आदि बनाकर आबाद चला आ रहा है। विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.04.18 17:52:10 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

भूमि खसरा नम्बर 321 से अपीलान्ट की खातेदारी भूमि की सीमा लगती है। जिसका राजस्व रिकार्ड अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत भी किये थे। पटवारी हल्का ने मौके पर सही पैमाइश ना करके अपने कार्यालय में बैठकर रिपोर्ट तैयार कर अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की है क्योंकि रिपोर्ट पर तथा अन्य कार्यवाहियों पर न तो अपीलान्ट के हस्ताक्षर है तथा न ही किसी चश्मदीद के हस्ताक्षर है। अपीलान्ट के निवेदन पर अदालत मातहत ने पटवारी हल्का को सही पैमाइश कर पुनः रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देशित किया था लेकिन पटवारी हल्का ने अदालत मातहत के आदेश की पालना किये बिना ही बिना मौके की जांच किये अपने कार्यालय में बैठकर कागजी कार्यवाही कर दुबारा रिपोर्ट अदालत मातहत के समक्ष पेश कर दी। जिसके बाद अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिये बिना ही अपीलान्ट तथा अपीलान्ट के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में आलौच्य निर्णय पारित कर दिया। जबकि निर्णय पारित करने के वक्त कोविड–19 महामारी की दुसरी लहर पीक पर थी। सम्पूर्ण राज्य में लॉकडाउन चल रहा था तथा सरकार की ओर से महामारी से बचाव हेतु जारी गाईड लाईन की पालना करने की हिदायत दी हुई थी। इसके अलावा सभी न्यायालयों में न्यायिक कार्य स्थगित किया हुआ था। अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर द्वारा आनन्द कुमार बनाम राज0 सरकार व अन्य की पीआईएल याचिका संख्या 4419/2019 में वर्षो से पुराने पक्के मकानात बनाकर काबिल चले आ रहे तथा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नही होने पर अतिक्रमियों के खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप फरमाने की फाईडिंग देकर रियायत दी गई थी जिसके आधार पर माननीय जिला कलक्टर झुन्झुनू ने भी पक्के मकानात बनाकर आबाद अतिक्रमियों के खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप फरमाई है। इसके अलावा राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प6 (16) राज/ख/71 दिनांक 03.07.1971 द्वारा भी अतिक्रमी की संज्ञा पाये दोषी को रियायत दी गई है। अदालत मातहत ने उपरोक्त सभी बातो को नजरअंदाज कर पटवारी हल्का की वेग रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आलौच्य निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिघाना द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट ने मौजा ग्राम ढाणी सिहोड़िया में खसरा नम्बर 321 में 0.12 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बजंड में से कुल रकबा 462.25 वर्ग मीटर भूमि पर पक्के मकान व चारदिवारी बनाकर अतिक्रमण किया है। पटवारी द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलान्ट को सुना जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.04.18 17:52:10 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर अपने कब्जे व विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन बजंड न होकर स्वयं की खातेदारी भूमि होने के संबंध में कथन किया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि प्रकरण में अपीलांट के कथनों पर पुनः भू0 अभिलेख निरीक्षक से मौका जांच रिपोर्ट ली गई जिसमें मौके पर पैमाईश कर रिपोर्ट की की जाना बताया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने बाबत समुचित अवसर दिया जाकर विविध प्रक्रिया के अन्तर्गत सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है। जिसमें मेरी राय में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। ऐसी सूरत में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.2021 उनवानी सरकार बनाम बुद्धराम मुकदमा नम्बर 20/2021 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 12.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.04.18 17:52:10 IST
Reason: SelfAttested